

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान,
कक्ष संख्या-55, नवीन भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ-226001.
पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

- 1- प्रार्थी का नाम (स्पष्ट शब्दों में) -----
- 2- आवेदन के दिनांक को आयु -----
- 3- पूरा पता (स्थायी) -----
- 4- आश्रितों की संख्या क्रमांक नाम सम्बन्ध आयु
- 5- प्रार्थी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध -----
- 6- कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम -----
- 7- कैज्युअल्टी का दिनांक तथा स्थान -----
(अ) प्रकृति (मृत्यु/स्थायी अपंगता) -----
(ब) स्थायी अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित) -----
(स) अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की तिथि -----
- 8- संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता -----
(अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरण, यदि कोई हो -----
(ब) मासिक आय -----
- 9- यदि प्रार्थी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका विवरण दें -----
- 10- जिस पुत्री की शादी होना है, उसका नाम -----
- 11- जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें) -----
- 12- शादी की तिथि -----
- 13- क्या प्रार्थी को उसकी उक्त पुत्री की शादी हेतु उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि या अन्य कहीं से कोई सहायता माँगी/स्वीकृत की गयी है, यदि हाँ तो उसका उल्लेख करें -----
- 14- कितनी धनराशि की आवश्यकता है '-----

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोट:- अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पी०ए०सी० एवं अर्द्ध सैनिक बल के महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित शादी की तिथि से कम से कम दो माह पूर्व भेजे जाए।

- 15- संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पी०ए०सी० एवं अर्द्ध सैनिक बल के महानिदेशक की संस्तुति, हस्ताक्षर व मुहर सहित।